

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना बिलरियागंज

नाबालिक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.03.2021 को वादिनी थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ द्वारा अपनी पुत्री किरन (काल्पनिक नाम) उम्र लगभग 16 वर्ष की दिनांक 07,08/03/2021 की रात करीब तीन बजे भोर में अपनी मां के गहने व रुपये लेकर किशन उर्फ कृष्णा पुत्र स्व0 भोला शंकर दबगर ग्राम पुराना गोला मुहल्ला कस्बा बड़हल गंज जिला गोरखपुर के साथ भागने तथा सहयोगी रागनी पत्नी दिनेश दबगर ग्राम थाना बिलरियागंज द्वारा बहकाने व भगाने में पूरा सहयोग करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 41/2021 धारा 363/366/120बी भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.09.2021 उ0नि0 राकेश चन्द्र त्रिपाठी मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूम जरायम केनया चौक पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त किशन उर्फ कृष्णा रात्रि में अपने रिस्तेदारी में आया जो पुराना चौक पर कहीं जाने के फिराक में साधन का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराह के प्रस्थान कर पुराना चौक पर पहुँचे कि एक व्यक्ति रोड के किनारे बैग लिये साधन का इन्तजार कर रहा था कि पुलिस वालों द्वारा एक बारगी घेरघार पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम किशन उर्फ कृष्णा पुत्र भोला शंकर निवासी पुराना गोला मुहल्ला थाना बड़हलगंज गोरखपुर बताया। नाम पता तस्दीक होने पर कारण अभियुक्त को मु0अ0सं0 41/2021 धारा 363/366/120बी/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़ में नामजद अभियुक्त होना बताकर समय करीब 08.40 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- किशन उर्फ कृष्णा पुत्र भोला शंकर निवासी पुराना गोला मुहल्ला थाना बड़हलगंज गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 41/2021 धारा 363/366/120बी/376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

- I. पुराना चौक

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 राकेश चन्द्र त्रिपाठी थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. का0 राकेश तिवारी थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
3. का0 अनिल यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

तीन राशि गौवंश व पिकअप के साथ चार गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान पशुबध, अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी सदर श्री अवीजीथ आर0 शंकर के कुशल पर्वेक्षण में तथा दिनांक -16.09.2021 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर श्री एस0पी0 सिंहके नेतृत्व में मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुआ कि एक टाटा मैजिक पिकप में क्रूरता पूर्वक गौवंश लाद कर बध हेतु ले जाया जा रहा है, कि उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा फखरुद्दीनपुर सिक्स लेन के पास पहुंच कर देखा गया की चार व्यक्ति एक अदद गोवंश गाड़ी के अन्दर निर्दयता पूर्वक बाध कर लादा गया था दो अदद गोवंश बाहर खड़े थे जिनको लादने के लिए निर्दयता पूर्वक बाधा गयाथा तो टार्च जलाकर देखा गया तो गाड़ी के पास चार व्यक्ति मौजूद मिले कि पुलिस बल को देखकर भागना चाहे तभी पुलिस बल की सहायता से समय 22.30 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 181/2021 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 207 MV Act.

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. अनिल राम पुत्र राम प्रकाश राम सा0 अलीपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ
2. तस्लीम पुत्र अबुल हसन सा0 हैदरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर
3. जुनैद अहमद उर्फ संजय पुत्र बेलाल अहमद सा0 नगरीपार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ
4. सरफरोज अहमद पुत्र इम्तियाज अहमद सा0 फखरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम सभी लोग मिलकर आवारा छुट्टा पशुओं को पकड़ कर गाड़ी में लादकर कसाईयों को बेचकर उसके पैसे से जीविकोपार्जन करते हैं। यही हम लोगों का मुख्य पेशा है। हम लोग कल दिनांक 16.09.2021 को सिक्स लेन के पास मैजिक वाहन में गाय व बछड़े को लाद रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। इस प्रकार अपनी गलती की बार – बार माँफी मांग रहे हैं।

बरामदगी का विवरण –

1. तीन राशि गौवंश
2. एक अदद टाटा मैजिक पिकप

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्र चौकी प्रभारी लोहरा मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़